

आदर्श लोकतंत्र, विकृत लोकतंत्र और लोक स्वराज्य

*बजरंगलाल अग्रवाल

वर्तमान विश्व में व्यवस्था दो प्रकार की है— 1. केन्द्रित 2. विकेन्द्रित। केन्द्रित व्यवस्था को तानाशाही का रूप कहा जाता है तथा विकेन्द्रित व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। तानाशाही या तो व्यक्ति की होती है या गुप की, जबकि लोकतंत्र बहुमत का होता है। तानाशाही में सर्वोच्च व्यक्ति या गुप के पास सवाधिकार सुरक्षित होते हैं किन्तु लोकतंत्र में व्यक्ति या गुप के पास उतने ही अधिकार होते हैं, जितने संविधान उन्हें दे। तानाशाही में व्यक्ति क कोई मौलिक अधिकार नहीं होते किन्तु लोकतंत्र में व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं। दुनियाँ के अधिकांश मुस्लिम देशों में व्यक्ति की तानाशाही है, भले ही उससे कितना भी प्रजातांत्रिक घालमेल क्यों न हो। साम्यवाद पूरी तरह गुप की तानाशाही है। यद्यपि वह मत्प्राय है। प्रजातंत्र भी दो तरह का है 1. आदर्श 2. विकृत। आदर्श प्रजातंत्र वह है, जिसमें शासन के अधिकार तो बहुत होते हैं किन्तु शासन का हस्तक्षेप भी कम होता है और दायित्व भी। प्रजातंत्र तब विकृत हो जाता है, जब शासन के पास अधिकारों के साथ साथ दायित्व तथा हस्तक्षेप भी अधिक हो जाता है।

पश्चिम के अनेक देशों में आदर्श लोकतंत्र और भारतीय उप महाद्वीप के देशों में विकृत लोकतंत्र स्थापित है। जिन देशों में तानाशाही या साम्यवाद है उनकी चर्चा करना व्यर्थ है किन्तु भारत उन देशों में है, जहाँ पूरी तरह लोकतंत्र है। जहाँ दुनियाँ के अन्य लोकतांत्रिक देशों ने पश्चिमी प्रणाली के लोकतंत्र को साम्यवाद के साथ मिलकर एक नये प्रकार का समाजवादी लोकतंत्र बनाने का प्रयास किया। साम्यवाद का एक अलग चरित्र होता है। साम्यवाद, जब सत्ता से बाहर रहता है तो सिर्फ अधिकारों की बात करता है और सत्ता में आते ही वह अधिकारों की बात बंद कर अधिकार सम्पन्न और अधिकार विहीन के रूप में दो वर्ग स्वीकार करता है। आम नागरिकों के पास सिर्फ कर्तव्य ही रहते हैं और सभी अधिकार सत्ता के पास इकट्ठे हो जाते हैं। साम्यवाद का दूसरा चरित्र यह होता है कि वह समाज में प्रवृत्ति के आधार पर वर्ग नहीं बनने देता बल्कि वह धर्म, आर्थिक स्थिति और उत्पादक उपभोक्ता के आधार पर वर्ग निर्माण कर वर्ग विद्वेष फैलाता और वर्ग संघर्ष तक ले जाता है। भारत में साम्यवादी कभी सत्ता में नहीं रहे किन्तु शासन ने उन्हें अपना वैचारिक आधार मजबूत करने की पूरी स्वतंत्रता दी। इसी का परिणाम हुआ कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होते हुए भी कभी आदर्श लोकतंत्र की ओर कदम नहीं बढ़ा सका अर्थात् भारत पूरी तरह विकृत लोकतंत्र का उदाहरण बन गया।

आदर्श लोकतंत्र में व्यक्ति को व्यक्तिगत मामलों में निर्णय की पूर्ण स्वतंत्रता होती है अर्थात् स्वनिर्णय व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या तो अनावश्यक रूप से बढ़ाते बढ़ाते सात कर दी गई किन्तु स्व निर्णय को उसमें शामिल नहीं किया गया। स्व निर्णय ही जब मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है तो अन्य मौलिक अधिकारों का क्या महत्व रह जाता है। इसी तरह समाजवादी दिखने की लालसा में मूल अधिकारों में से सम्पत्ति को भी हटा दिया गया। देश के सभी नागरिकों को व्यक्तिगत मामलों में निर्णय की समान स्वतंत्रता, समानता का प्रमुख उद्देश्य होता है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य की इस स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न न कर सके, यह शासन का उद्देश्य होता है किन्तु वामपंथियों और उनकी मदद से अन्य राजनेताओं ने आम नागरिकों की स्वतंत्रता का स्वयं अपहरण करने के उद्देश्य से समानता को अर्थ के साथ जोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि पूरे देश में अधिकारों की असमानता बढ़ती गई। एक-एक कर समाज के सभी अधिकार शासन के पास केन्द्रित होते गये आर भारत लोकतंत्र का कंकाल मात्र रह गया।

राजनैतिक रूप से भारत दो विचारधाराओं का संगम है 1. वामपंथी और 2. दक्षिणपंथी। वामपंथियों का नेतृत्व साम्यवादियों के पास है और दक्षिणपंथियों का संघ परिवार के पास। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार के समर्थन से विपक्ष की भूमिका में है। न कांग्रेस की कोई अपनी स्वतंत्र विचारधारा है और न ही भाजपा की। दोनों ही सत्ता के लिये अलग अलग विचारधाराओं से चिपटे रहते हैं।

देखने में तो साम्यवादी और संघ परिवार एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं और इस सीमा तक विरोध है कि व्यक्तिगत रूप से दोनों के कार्यकर्ताओं में कोई समानता नहीं दिखती किन्तु यदि सूक्ष्म विश्लेषण करें तो दोनों विचारधाराओं में कई मामलों में गजब की समानता है।

1. साम्यवाद तथा संघ परिवार दोनों की हिंसा पर विश्वास करते हैं। दोनों शक्ति को सफलता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम मानते हैं। प्रजातंत्र में किसी भी स्थिति में बलप्रयोग प्रजातंत्र के विरुद्ध माना जाता है किन्तु भारत में प्रजातंत्र होते हुए भी दानों ही समूह हिंसा और तोड़फोड़ को प्रोत्साहित करते हैं। दोनों ने ही अपने बीच के कुछ लोगों के अतिवादी दरतें भी बना लिये हैं। यहाँ तक किया गया कि हड़ताल, चक्का जाम व घेराव जैसे पूर्णतः अलोकतांत्रिक तरीकों को भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक घोषित करारकर, दोनों ही उसकस खल्लमखुल्ला उपयोग करते हैं तथा बेशर्मी से घोषित भी करते हैं कि ये कार्य वे प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिये कर रहे हैं।
2. दोनों ही समूह पूरी तरह साम्प्रदायिक हैं। साम्यवाद मुस्लिम तुष्टीकरण और संघ परिवार हिन्दू तुष्टीकरण का खुला उपयोग करते हैं।
3. दोनों ही गोयबल्स की नीति का अक्षरशः पालन करने वाले हैं, जिसके अनुसार किसी झूठ को सौ बार बोलकर आम जनता के बीच सत्य सिद्ध किया जा सकता है। मैंने दोनों ही संगठनों के कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से देखा है कि वे अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक जीवन में पूरी तरह ईमानदार और विश्वसनीय होते हुए भी अपने गुटीय मामला में असीमित असत्य बोलते हैं।
4. दोनों ही सुनियोजित तरीक से प्रतिबद्ध साहित्यकार बनाते हैं, उन्हें स्थापित कराते हैं तथा उनका भरपूर उपयोग करते हैं। ऐसे लोग वास्तव में साहित्यकार न होकर चारण या भाट करे जा सकते हैं जो प्रतिबद्धता के उद्देश्य से साहित्य को तोड़-मरोड़कर समाज के सम्मक्ष प्रस्तुत करते हैं। तटस्थ पाठकों में ऐसे साहित्यकार पूरी तरह अविश्वसनीय होते जा रहे हैं। कई ऐसे लोगों को हम जाते हैं, जिनके नाम देखते ही पूरे लेख का तत्व पता चल जाता है कि इन्होंने अपने लेख का सार तत्व कहाँ पहुँचाया होगा?
5. दोनों ही समाज पर विश्वास न कर कैंडर बनाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी सारी योजना आर कार्यक्रम गुप्त रखने पड़ते हैं।
6. दोनों ही तर्क से दूर भागते हैं क्योंकि तर्क किसी निष्कर्ष तक पहुँचने में सहायक होता है। इसीलिए दोनों ही प्रचारित करते हैं कि तर्क निष्कर्ष निकालने में बाधक होता है।
7. दोनों के कैंडर पूरी तरह प्रतिबद्ध होते हैं। ये चरित्र के मामले में भी औरों से ऊँचे होते हैं तथा त्याग भी बहुत कर सकते हैं। दोनों के कैंडर त्याग और सादगी का जीवन जीना अच्छा समझते हैं।
8. दोनों ही वसुधैव कुटुम्बकम् की प्रशंसा करते हैं किन्तु आचरण पूरी तरह विपरीत होता है। संघ परिवार ने अपनी एक निश्चित पहचान बना ली है कि वह मुस्लिम देशों का हर हालत में विरोध करेगा और साम्यवादियों की तो पुरानी बनी हुई पहचान है ही कि वह अमेरिका तथा उसक मित्र राष्ट्रों का विरोध करेगा।
9. दोनों ही केन्द्रित सत्ता के पक्षधर हैं। साम्यवाद की नीति अधिक से अधिक केन्द्रित सत्ता को लेकर चलती है और संघ परिवार भी अधिक से अधिक मजबूत केन्द्र का समर्थक है। दोनों में से कोई भी शासन के पास न्यूनतम अधिकार, हस्तक्षेप और दायित्व के पक्षधर नहीं है।
10. श्रम शोषण की दृष्टि से दोनों की नीतियाँ एक समान हैं। दोनों ही कुटीर उद्योगों की बात करते हैं और कृत्रिम ऊर्जा की मूल्यवृद्धि के विरुद्ध आंदोलन करते हैं। दोनों ही अपने-अपने संगठन बनाकर संगठित श्रमिकों की सुविधाएँ और वेतन बढ़ाने का प्रयास करते हैं किन्तु दोनों ही कभी यह नहीं सोचते कि ऐसी वेतन सुविधा वृद्धि असंगठित और वास्तविक श्रमिकों के शोषण का हथियार बन जाती है।
11. दोनों ही समाज में अपनी गंभीरता और विश्वसनीयता खो चुके हैं। सत्ता आर विपक्ष का लोकतांत्रिक अन्तर भूलकर, पूरी तरह सत्ता संघर्ष का स्वरूप दे दिया गया है। पूरा देश जानता है कि आपराधिक छवि वालों का मंत्री बनना बहुत हानिकर है किन्तु सत्तारूढ़ दल येन केन प्रकारेण उनको बचाने में लगा है। साथ ही यह भी सच है कि सत्तारूढ़ लोग अन्तरात्मा की आवाज पर उन्हें निकालकर नाराज होने का खतरा उठा लें तो विपक्ष उनके स्वागत करने में कोई विलम्ब नहीं करेगा। लोकतंत्र में व्यक्ति का शासन नहीं होता और न ही कोई एक व्यक्ति या गुप अव्यवस्था के लिये जिम्मेदार होता है। लोकतंत्र

में शासक संविधान का होता है। आम नागरिक अपने चुने प्रतिनिधियों से नागरिकों द्वारा बनाय गये संविधान के अन्तर्गत लगातार बढ़ी हैं वे लोकतंत्र में विकृति के कारण बढ़ी हैं। भारत की राजनीति ने दो समूहों में बंटकर लोकतंत्र को सत्ता संघर्ष का मैदान बना दिया। इस सत्ता संघर्ष ने ही लोकतंत्र को इस सीमा तक विकृत किया कि परिणाम पूरी तरह विपरीत हो गया और ग्यारह समस्याएँ लगातार बढ़ने लगीं।

लोक स्वराज्य प्रणाली, लोकतंत्र का एक अच्छा विकल्प है। आदर्श लोकतंत्र में शासन के अधिकार तो बहुत होते हैं किन्तु दायित्व तथा हस्तक्षेप कम होता है। लोक स्वराज्य में शासन के दायित्व तथा हस्तक्षेप के साथ-साथ अधिकार भी बहुत कम होते हैं। लोकतंत्र में यदि जन प्रतिनिधियों की नीयत खराब हो जावे तो वे लोकतंत्र का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, जैसा भारत में हुआ, किन्तु लोक स्वराज्य प्रणाली का दुरुपयोग नहीं हो सकता या कम ही हो सकता है। दुनियाँ में लोकतंत्र के विकल्प की खोज चल रही है। आदर्श लोकतंत्र के स्थान पर भी लोक स्वराज्य प्रणाली ही आयेगी किन्तु विकृत लोकतंत्र को तो अब एक क्षण भी बदाशत करना हमारी कायरता का प्रतीक है। विकृत लोकतंत्र में कोई सुधार संभव नहीं क्योंकि अच्छा आदमी चुनकर जा नहीं सकता, यदि चला गया तो अच्छा रह नहीं सकता और रह गया तो उसका निकाला जाना निश्चित है। अतः अच्छे आदमी को भेजकर लोकतंत्र की बुराइयों को दूर करने का प्रयास हमारी मृगतृष्णा है। हमें तो अब पूरी व्यवस्था बदलने का प्रयास करना चाहिये। इसके लिये भारत में वर्तमान दो सत्ता केन्द्रों 1. साम्यवाद व 2. संघ परिवार, के स्थान पर एक तीसरे सत्ता केन्द्र की स्थापना करनी चाहिये जो पूरी तरह देश के वर्तमान संविधान के मूल ढाँचे में परिवर्तन कर नीचे की इकाइया को अधिकतम अधिकार सौंप दे। इस व्यवस्था में राष्ट्र अंतिम और सर्व शक्तिमान इकाई न होकर, राष्ट्र से उपर विश्व व्यवस्था मजबूत होगी तथा राष्ट्र के नीचे व्यक्ति परिवार, गाँव, जिले एवं प्रदेश आदि को भी इकाईगत निर्णय की स्वतंत्रता होगी।

हम बहुत दिनों से विकृत लोकतंत्र के दुष्परिणामों से पिण्ड छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं किन्तु हम लगातार और अधिक कमजोर होते जा रहे हैं। अब भारत में इस समस्या से एक साथ पिण्ड छुड़ाने का तरीका खोज लिया गया है। वह दिन दूर नहीं जब भारत न सिर्फ विकृत लोकतंत्र से मुक्त होगा बल्कि विश्व को लोकतंत्र के विकल्प के रूप में लोग स्वराज्य प्रणाली भी दे सकेगा।

सूचना

'ज्ञान तत्व' के कार्यालय का दूरभाष क्रमांक अब 07779-276227 हो गया है। कृप्या ध्यान दें।

—संपादक 'ज्ञान तत्व'—

पश्नोत्तर

1. प्रश्न आरती चकवर्ती, साउथ सिन्धी रोड, कोलकाता, बंगाल 700030।

इच्छा— ज्ञानतत्व मिलता है। आपके कार्यक्रमों की सूचना भी मिली। इच्छा तो बहुत होती है कि आपके साथ जुड़कर कुछ समाज के लिये कर पाती किन्तु सड़क दुर्घटना में गंभीर चोट के कारण बिस्तर पर लेटकर ही संतोष कर रही हूँ। मन बराबर आपके कार्यक्रमों की सफलता में सहयोगी है किन्तु शरीर को स्वस्थ होने में अभी काफी समय लगेगा। मुझे कुछ न कर पाने का दुख है किन्तु मजबूरी है। अपनी ओर से पुनः एक सौ रूपया आर्थिक सहायता भेजी है ज्ञान तत्व के माध्यम से आपके विचार और समाचार मिलते रहे यह मेरी हार्दिक इच्छा है।

उत्तर — आपके पत्रों में कई बार गंभीर विचार पढ़ने के लिये मिलते रहते हैं। आप एकसीडेंट से फ्रेक्चर के कारण खाट पर होते हुए भी जितना कर पाती हैं उससे आपके प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाता है। जब भी आपका पत्र आता है तो मन में एक ग्लानि अवश्य होती है कि मैं अपनी बहन से आज तक नहीं मिल सका, विशेषकर उसके बीमार अवस्था काल में किन्तु मेरी हार्दिक इच्छा और प्रयत्न रहेगा कि मैं एक बार आपके दर्शन अवश्य करूँ। ऐसी बामार स्थिति में आपको एक सौ रूपये भेजने की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। स्वस्थ होने तक आत्मिक सहयोग ही हमारा सम्बल बनेगा। मेरी कामना है कि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें जिससे हम आप कंधे से कंधा मिलाकर इस समाज को राजनैतिक गुलामी से मुक्त करा सकें।

2. श्री मदन मोहन व्यास, अजन्ता रोड, रतलाम, मध्यप्रदेश।

समीक्षा — आप समय निकालकर मुझसे मिलने रतलाम आय इससे मुझे बेहद खुशी हुई है। समाज में शासन का हस्तक्षेप न्यूनतम होना ही चाहिये। यदि यह शून्य हो जावे तो आदर्श स्थिति होगी। गाँव की इकाई को न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका इन तीनों अधिकारों से पूर्ण होना चाहिये। गाँव के उपर की इकाई चौखला हो जो ब्लाक क बराबर हा सकती है। तात्कालिक रूप से हम वर्तमान ब्लाक को ही मान सकते हैं। इस तरह व्यवस्था की चार सीढ़ियां बने 1. गाँव 2. ब्लाक 3. प्रदेश 4. केन्द्र। अभी की व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के साथ गड्डमड्ड हो गये हैं। विधायिका द्वारा कार्यपालिका में हस्तक्षेप के अधिकार बहुत समस्याएँ पैदा कर रहे हैं। हमें अपने तीन मुद्दों में से प्रतिनिधि वापसी का अधिकार और संविधान में ग्राम और ब्लाक के अधिकारों की सूची के साथ तीसरा मुद्दा यह जोड़ना चाहिये कि विधायिका और कार्यपालिका को उसी तरह अलग अलग होना चाहिये जैसे न्याय पालिका। यदि विधायिका को विधान बनाते तक सीमित कर दिया जावे तो अनेक समस्याएँ अपने आप कम हो जाएंगी। मैं तीन चार पांच अक्टूबर को अंबिकापुर सम्मेलन में आने का पूरा प्रयास करूँगा।

फिर भी मेरा अपना विचार यह है कि संविधान संशोधन के लिये संसद में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी जो लगभग असंभव है। वर्तमान वातावरण में दो तिहाई तो क्या दो चार भी अच्छे लोग चुन कर संसद में नहीं पहुँच सकते हैं। वर्तमान सांसद तो कोई संशोधन करेंगे नहीं।

ऐसी स्थिति में हम वर्तमान ग्राम पंचायतों तथा नगर इकाइयों को आधार बनाकर काम प्रारंभ करें। ये संवैधानिक संगठन हैं। इन्हें स्वराज्य प्राप्ति का हथियार बनाना बुद्धिमानी होगी। इनमें पाषण्डों या पंचों द्वारा मनोनीत कुछ नागरिकों को जोड़कर ग्राम सभा और नगर सभा बन सकती हैं और इसी तरह आगे बढ़ा जा सकता है। मेरे विचार में आप अपनी सारी शक्ति इस दिशा में लगावें तो सफलता निश्चित और आसान हो सकती है।

उत्तर— लोक स्वराज्य की दिशा में गंभीर विचार रखने वाले भारत के चार प्रमुख विद्वानों में आपका नाम होने के कारण आपसे मिलकर चर्चा करने हेतु मैं गया था। मैं आपको इन कथनों से पूरी तरह सहमत हूँ कि—

1. गांवों को न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका के गांव संबंधों सभी अधिकार प्रदान किये जावें।
2. पूरे देश को गांव, ब्लाक, प्रदेश और राष्ट्र स्तर की इकाइयों में विभाजित करना चाहिये। हमने ब्लाक का नाम लोक जिला और प्रदेश का लोक प्रदेश रखा है किन्तु हमारी भी कूल चार ही इकाइयां हैं जिनमें लोक जिला का अर्थ ब्लाक है।
3. विधायिका और कार्यपालिका का पूरी तरह अलग अलग होना चाहिये। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं प्रयास करूंगा कि इसे त्रिसूत्रीय मांग पत्र में जोड़ने पर चर्चा हो।
4. संविधान में संशोधन एक कठिन कार्य है। इन सबसे सहमत होते हुए भी मेरा मानना है कि हम संविधान संशोधन हेतु जनमत जागरण तथा स्थानीय संस्थाओं में ग्राम सभा का गठन, इन दोनों कामों को साथ साथ चलने दें। आप चौखला परिवार निर्माण का राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहे हैं मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। स्थानीय स्तर पर हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। हम लोग संविधान संशोधन के लिये राष्ट्रीय स्तर पर जनमत खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपका सहयोग बहुत काम आयेगा। हम आप मिल कर दोनों दिशाओं में (अलग अलग आर साथ साथ) काम करेंगे तो पांच वर्षों में अवश्य सफलता मिलेगी।

2. श्री धर्मवीर शास्त्री पुरैनी, बिजनौर, उत्तर प्रदेश।

3. प्रश्न— यात्रा समाप्त हुई। अब आगे क्या करना है ? बताने की कृपा करें।

4. प्रश्न श्री बच्छराज खटेड, कटरा, कलकत्ता।

प्रश्न — स्वतंत्रता सेनानी व सर्वोदयी नेता श्री ठाकुरदास बंग की लोक स्वराज्य यात्रा पर ज्ञानतत्व में कुछ नहीं लिखा गया। क्या उनकी यात्रा आपसे विपरीत है ? समाज में शासन के अधिकार हस्तक्षेप व दायित्व न्यूनतम करने और स्थानीय संस्थाओं को प्रायः हर विषय में स्व निर्णय के पूर्ण वैधानिक हक देने सहित जिन तीन प्रस्तावों पर आप सारा दम लगा रहे हैं, उनकी सफलता सरकार के अधीन है, आपके हाथ नहीं। आप शासन को कैसे सहमत या विवश कर सकते हैं ? उसका तरीका क्या है ? यात्राओं का इसमें कितना असर पड़ता है? सरकार विरोधी न होने से आपकी यात्राओं का शासकीय नीतियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर लोक स्वराज्य प्रेमी, अन्य बुद्धिमानों की तरह यात्रा में शक्ति क्यों खत्म कर रहे हैं ? यात्रा को ही सब रोगों की दवा मानने से शायद मानसिक अहं तुष्ट होता है। वस्तुतः हम जैसी सेवा के इच्छुक हैं, उसकी समुचित योग्यता हममें है या नहीं, यह सबसे पहले समझने की आवश्यकता है।

उत्तर — भारत की सभी समस्याओं पर गंभीर विचार मंथन के बाद हमने ग्यारह समस्याओं (1. चोरी, डकैती, लूट 2. बलात्कार 3. मिलावट, कमतौल

4. जालसाजी धोखा 5. हिंसा आतंक 6. भ्रष्टाचार 7. चरित्र पतन 8. साम्प्रदायिकता 9. जातीय कटुता 10. आर्थिक असमानता वृद्धि और श्रम शोषण) की पहचान की तथा इन सबके तत्काल समाधान की आवश्यकता महसूस की। हमने यह भी निष्कर्ष निकाला कि इन सब समस्याओं में वृद्धि का कारण व्यवस्था में कमी है क्योंकि व्यक्ति के गिरते चरित्र के कारण व्यवस्था में कमी है क्योंकि व्यक्ति के गिरते चरित्र के कारण व्यवस्था में गिरावट नहीं आ रही है बल्कि व्यवस्था की कमियों के कारण व्यक्ति के चरित्र में गिरावट आ रही है। इस तरह हमने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत का वर्तमान संविधान वर्तमान व्यवस्था का नियंत्रित करने में विफल हुआ है। अतः हमें भारत के वर्तमान संविधान का मूल ढांचा बदल कर पांच प्राथमिकतायें क्रमानुसार (1. सत्ता का अकेन्द्रीयकरण 2. अपराध नियंत्रण 3. आर्थिक असमानता में कमी 4. श्रम मूल्य वृद्धि और 5. समान नागरिक संहिता) कर देनी चाहिये ।

भारतीय संविधान के इस बदलाव में सबसे बड़ी बाधा है राजनेताओं के पास अनियंत्रित शक्ति। इस अनियंत्रित शक्ति के कारण ही भारतीय राजनीति पूरी तरह बेलगाम हुई है। इसलिये हमारा पहला प्रयास यह होना चाहिए कि भारतीय राजनीति पर समाज का किसी न किसी प्रकार का अंकुश अवश्य हो। इस अंकुश के लिये संविधान में दो तिहाई बहुमत से संशोधन करना होगा, अन्य कोई मार्ग नहीं। इस तरह हमारे पास ग्यारह समस्याओं के समाधान के लिये सर्व प्रथम चनी हुई संसद द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान में ऐसा संशोधन पारित कराना है कि राजनीतिज्ञों पर समाज का कुछ अंकुश लग सके। भारत के अन्य अधिकांश प्रतिभा सम्पन्न लोगों ने हार मानकर इस कार्य को छोड़ा ही नहीं या छोड़ा तो छोड़ दिया किन्तु इस असम्भव लगते कठिन कार्य को करने का बीड़ा हमने उठाया है। हम लोगों की टीम, जिसका कि नेतृत्व सत्तासी वर्षीय गांधीवादी श्री ठाकुरदास बंग कर रहे हैं, ने बीस वर्षों तक न सिर्फ इस कार्य की पूर्व तैयारी की है बल्कि अपनी कार्य क्षमता का ठीक ठीक ऑकलन किया है। हम अच्छी तरह समझते हैं कि भारत की सम्पूर्ण व्यवस्था से त्रस्त जनमानस एक ऐसे सूखे भूसे के ढेर के समान है, जिसकी मात्रा चाहें जितनी भी अधिक हो, उस समूचे ढेर को जलाकर राख करने के लिये एक और सिर्फ एक माचिस की तीली चाहिये जो स्वयं उस ढेर के साथ समाप्त होने की हिम्मत करे। दुर्भाग्य से अन्य समाज सेवी अपनी असुरक्षा के डर से इस कार्य से बचते रहते हैं किन्तु बंग जी निश्चित समय सीमा में अपेक्षा से अधिक जन समर्थन प्राप्त हो रहा है।

हम दोनों दो अलग अलग विचार धाराओं से आये हैं। बंग जी प्रख्यात गांधीवादी, तपे तपाये अनुभवी तपस्वी के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और मैं मूल रूप से स्वामी दयानंद को मानने वाला, गंभीर अन्वेषक तथा समाज शास्त्री विद्वान हूँ। बंग जी ने सर्वोदय के कार्य में पूरा जीवन होम किया है और मैं जीवन भर आर्य समाज से जुड़ता रहा बंग जी का मानना है, वर्तमान सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान महात्मा गांधी के उस वाक्य में है कि शासन का अधिकार, दायित्व तथा हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिये। मेरा मानना है कि भारत की वर्तमान सभी समस्याओं का समाधान स्वामी दयानंद निर्मित आर्य समाज के दसवें नियम में है, जिसके अनुसार व्यक्ति को व्यक्तिगत मामलों में निर्णय की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये और सर्व हितकारी नियमों के निर्माण में सब

परतंत्र हो। हम लोगों ने यह महसूस किया कि स्वामी दयानंद तथा महात्मा गांधी ने समस्या का एक ही समाधान सुझाया है किन्तु यह हमारी ना समझी है कि हम राजनेताओं के चक्कर में पड़कर सर्वोदय को वाम पंथियों आर आर्य समाज को दक्षिण पंथियों का चारागाह बना बैठे हैं। सही स्थिति यह है कि राजनेताओं पर समाज का अकुश लगाने में सबको मिलकर एकजुट हो जाना चाहिये। महात्मागांधी तथा स्वामी दयानंद की समाज, व्यक्ति व शासन के बीच अधिकारों की अधिकतम और न्यूनतम सीमा रेखायें हों। इस संबंध में दोनों के बिल्कुल समान विचार होने के विषय में सर्वोदय और आर्य समाज के बीच कोई मतभेद नहीं है।

बंग जी व मैंने कुछ साधियों के साथ सत्ताइस अगस्त 2003 को सेवाग्राम स्थित बापू कुटी में प्रतिज्ञा की कि हम उपरोक्त ग्यारह समस्याओं का समाधान की सबसे बड़ी बाधा "भारतीय राजनेताओं" की उच्चश्रृंखला पर अंकुश लगाने में अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देंगे। हमारा यह प्रयास होगा कि आगामी पांच वर्षों में भारतीय संविधान में ऐसा संशोधन हो जावे। हमने अक्टूबर अगस्त 2003 से सम्पूर्ण भारत के प्रत्येक प्रदेश मुख्यालय में जाकर संयुक्त रूप से विचार रखे और एक माह की यात्रा के बाद हम आश्वस्त हुए कि उक्त प्रयास ही एक मात्र मार्ग है जो असंभव कदापि नहीं है। इस यात्रा के बाद हमने छः माह तक पूरे देश में सघन जन संपर्क की योजना बनाई, जिसका सत्तर प्रतिशत भू भाग बंग जी ने स्वीकार किया और तीस प्रतिशत मैंने स्वीकार किया। मैंने अपनी सघन चर्चा के कार्य का नाम यात्रा दे दिया और बंग जी ने मीटिंग दिया। वास्तव में हमारा कार्यक्रम न यात्रा था, न ही मीटिंग दिया। वास्तव में हमारा कार्यक्रम न यात्रा था न ही मीटिंग। यह तो एक जन संपर्क का रूप था चाह नाम हम कुछ भी क्यों न दे दें।

इसी जन संपर्क के क्रम में बंग जी, मैं तथा अन्य सात साथी महाराष्ट्र के पूर्व विधान सभा अध्यक्ष तथा प्रसिद्ध गांधीवादी परिवार के राजनेता श्री मधुकर चौधरी जी के निवास पर तीन दिन तक गहन विचार विमर्श में लगे रहे। चौधरी जी ने हम सबकी न सिर्फ अच्छी व्यवस्था की बल्कि स्वयं पूरे समय विचार मंथन में लगे रहे और तीन दिनों के विचार मंथन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अभी हमें तीन सूत्रीय संविधान संशोधन पर सारी शक्ति केन्द्रित करनी चाहिये –

1. चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने की प्रक्रिया का निर्धारण।
2. केन्द्र, प्रदेश और समवर्ती सूची के साथ जिला व ग्राम के अधिकारों की सूची संविधान में इस तरह जोड़ना कि अधिकार नीचे अधिक और उपर कम हों।
3. नीति निर्देशक सिद्धांतों को शासन बाध्यकारी बनाना। यद्यपि मेरा जोर सिर्फ दो ही संविधान संशोधनों पर था और तीसरे को मैं कम आवश्यक मानता था किन्तु सबकी इच्छा के अनुसार हम सब तीन संशोधनों पर सहमत हुए और मधुकर राव जी चौधरी ने भी इस काय में बंग जी के समान ही समय देने की सहमति व्यक्त की। यहीं स तीन संविधान संशोधन केन्द्रित जनमत जागरण का सूत्रपात हुआ। मई माह में सेवाग्राम से सर्व सेवा संघ ने इस अभियान पर गंभीर मंत्रणा पश्चात् इस अभियान के निमित्त पूरे भारत में एक करोड़ हस्ताक्षर कराने का निर्णय किया। छब्बीस जून 2004 को स्वामी दयानंद निर्वाण स्थल, अजमेर में आर्य समाज के मूर्धन्य विद्वानों के बीच भी इस अभियान को सर्व सम्मत स्वीकृति मिली और इस तरह हमारा यह अभियान तीन से पांच अक्टूबर को अंबिकापुर सरगजा में आयोजित सम्मेलन के बाद और गति पकड़ेगा।

वहीं हमारा यह अभियान निरर्थक होगा ऐसा आपका मानना है क्योंकि इन प्रस्तावों पर काम करना शासन के अधीन है। हम लोगों ने इस मुद्दों पर गहन चिन्तन किया है। संविधान संशोधन के बाद इन तीनों का कर्तव्यन्ययन शासन के अधीन न होकर हमारे अधीन हो जायेगा। हम संविधान संशोधन के लिये दो तरह की आशा कर रहे हैं –

1. वर्तमान राजनैतिक दलों में से कोई एक दो दल जनमत देखकर ऐसे संशोधनों हेतु तैयार हो जावें
2. एक नया अराजनैतिक समूह चुनावों के माध्यम से संसद में दा तिहाई स्थान प्राप्त कर तीन माह की अवधि में ही संविधान संशोधन कर नई व्यवस्था बना दें।

दोनों ही काम अत्यन्त कठिन है। पहली संभावना तो और भी कम है किन्तु हम वर्ष दो हजार सात में इस संबंध में और विचार करके योजना बनाएँगे। तब तक हम तीन मांगों के पक्ष में जनमत जागरण करेंगे तथा वर्तमान राजनीति के विरुद्ध वैसा वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे, जैसा सन् सैतालिस के पूर्व गांधी जी तथा सन् पचहत्तर में जय प्रकाश जी ने बनाया था। हमें कोई और मार्ग नहीं दिखता, इसलिये हम तो इस अभियान में कूद पड़े हैं। स्वतंत्रता के बाद अनेक सार्थक प्रयास निरर्थक हो चुके हैं। इस बार यह निरर्थक प्रयास सार्थक होगा ऐसा हमें विश्वास है।

हम तीस जनवरी 2004 तक पूरे देश में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचकर इन तीनों मुद्दों पर उनके स्वीकृति सूचक हस्ताक्षर (लक्ष्य एक करोड़) प्राप्त करेंगे। साथ ही हम इस अभियान में सक्रियता से जुड़ने वालों से पांच रुपये लेकर उन्हें सर्वोदय मित्र भी बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम ये हस्ताक्षर किसी संवैधानिक इकाई को इस तरह सौंपेंगे कि उस दिन हर लोक सभा क्षेत्र में कुछ लोग एक टाइम का उपवास करें या उस दिन हर जिले में एक आम सभा हो अथवा और कुछ योजना बनेगी। हम लोक स्वराज्य मंच के लोग इस संबंध में गंभीर मंत्रणा हेतु तीन से पाँच अक्टूबर तक अंबिकापुर में बैठ रहे हैं। आप सबके आने की प्रतीक्षा है। इस संबंध में अगस्त चौबीस-पच्चीस 2004 को केरल में सर्वोदय सम्मेलन में भी व्यापक चर्चा होगी।

श्री मदन मोहन व्यास, अजन्ता मार्ग, रतलाम ।

4. **प्रश्न**— मान लें कि आपके अभियान के अनुरूप संविधान संशोधित होकर समाज में शासन के हस्तक्षेप, अधिकार व दायित्व कम हो गये और स्थानीय संस्थाओं को प्रायः हर विषय में स्व निर्णय के पूरे-पूरे वैधानिक हम मिल गए, तब भी स्वराज नहीं हो जाएगा। स्वराज का अर्थ है— स्थानीय समुदाय 24 गाँव यानी चोखले, विकासखंड व नगर) गणराज हो और गणराज की अपनी संसद, सरकार तथा अदालत होती है। आपकी क्या राय है?

उत्तर— मैं आपसे सहमत हूँ कि हमारे तीन प्रस्ताव स्वराज्य नहीं है बल्कि स्वराज्य के बीच आने वाली बाधा दूर करने वाले प्रस्ताव मात्र है। इन प्रस्तावों के पारित होने से राजनेताओं का मनोबल टूटेगा और समाज में एक नई बहस छिड़ेगी। जब तक समाज में विचार मंथन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा, ऐसा आपकी मान्यता से मैं सहमत हूँ। मैं विचार मंथन की प्रक्रिया के पूर्व राजनीति पर समाज के अंकुश का पक्षधर हूँ।

प्रश्न डॉ० बुधमल शामसुखा, सफदरजंग, एन्क्लेव, नई दिल्ली ।

6 प्रश्न — आपके साथ समान स्तर पर विचार सहयोगी कौन-कौन है ? सर्वोदय विचार से प्रेरित होकर गत वर्षों में भिन्न महानुभावों द्वारा की गई यात्राओं से सामान्य आदमी को क्या संदेश मिला। उनका आम इंसान से संवाद कसा रहा तथा राष्ट्रहित में उसका क्या उपयोग हुआ? क्या ऐसा कहा जा सकता है कि यह यात्रायें महज अपनी पहचान बनाने या अपना अस्तित्व कायम रखने हेतु कुछ बंद लोगों का असफल प्रयास थीं? उनमें से कुछ तो अब धर्मा-संप्रदायो का पल्लू पकड़कर जी रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ? दूसरी ओर लोकतंत्र यानी जनता का राज्य जनता के लिए जनता द्वारा शुरू से ही जनता के नाम पर जनता को धोखा देकर कुछ चतुर या प्रभुत्व संपन्न लोगों का सत्ता हथिया लेने का छलावा है। आपकी क्या राय है? वहीं लोकतंत्र उसी व्यवस्था से पैदा हुआ है, जिससे कि राजतंत्र जन्मा था और आज वही व्यवस्था जारी है, जिसके अंदर से उत्पन्न संविधान के कुछ हिस्से बदल देने से क्या व्यवस्था परिवर्तन हो जायेगा?

उत्तर— अब सर्वोदय तथा आर्य समाज में इस योजना पर गंभीर विचार मंथन चल रहा है। दोनों ही संस्थाओं के प्रमुख लोगों ने इस संबंध में सहमति व्यक्त की है। हो सकता है कि आगे और सक्रियता आवे। लोक स्वराज्य मंच तो पूरी तरह यही कार्य कर ही रहा है। गायत्री परिवार के भी कुछ कार्यकर्ताओं से चर्चा जारी है।

सर्वोदय या अन्य विचारों से प्रेरित यात्राओं से समाज को यदि राजनैतिक उच्चश्रृंखलता से मुक्ति मिली होती तो अब हमें इस नय प्रयास की आवश्यकता ही नहीं थी। नये ढंग से होने वाला प्रयास स्वयं सिद्ध करता है कि या तो पुराने प्रयास विफल हुए या उन प्रयासों से प्राप्त सफलता शासन द्वारा पैदा की जा रही बुराइयों के समक्ष बिल्कुल तुच्छ थी। मेरा अब भी यही मानना है कि समाज निर्माण या सेवा के कार्य विकृति के दुष्परिणामों को कम कर सकते हैं। किन्तु संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ नहीं दे सकते। संविधान संशोधन द्वारा राजनेताओं की शक्ति में कमी कर जन शक्ति को मजबूत किया जाय और तब समाज इन समस्याओं का समाधान खोजे। इस संबंध में धीरे धीरे जनमत तैयार हो रहा है। अब तक होने वाले प्रयासों में से अधिकांश प्रयास या तो धर्म के नाम पर हुए या राजनीति के नाम पर। अब हम इससे पूरी तरह सतर्क हैं।

भाजपा व शिवसेना पर अर्थ दंड उचित—बजरंगलाल

रामानुजगंज, जुलाई। नगर पंचायत अध्यक्ष श्री बजरंगलाल अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी व शिव सेना को हड़ताल कराने के लिए महाराष्ट्र उच्च न्यायालय द्वारा 20-20 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने की खुलकर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि हड़ताल व चक्का जाम आदि उन सभी कार्यों को गैर कानूनी ही नहीं, समाज विरोधी भी घोषित किया जाना चाहिए जो दूसरों की जिंदगी में अनावश्यक एवं अवांछनीय रूप से खलल डालते हैं। उल्लेखनीय है कि वे इस हेतु बीते द्वाइ दशक से निरन्तर आवाज उठा रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए श्री अग्रवाल ने नगर में बड़े पैमाने पर जनमत खड़ा कर बीते दशकों में आम नागरिकों से सर्व सम्मत पस्ताव पारित कराए तो नगर पंचायत अध्यक्ष बनने पर उसे स्थानीय निकाय में विधिवत मंजूर कराकर समूचे नगर में लागू करा दिया। यही नहीं इसके लिए श्री लाल ने शासन प्रशासन को अनेक बार लिखित मसौदे पेश किए और माँग की कि दूसरों को हड़ताल व चक्काजाम आदि के लिए जबरन विवश करने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाना चाहिए।

आपने इस संबंध में केरल उच्च न्यायालय के अपने प्रदेश के लिए आए एक निर्णय की भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी, जिसमें हड़ताल व चक्काजाम आदि को अवैधानिक घोषित किया गया था।

में आऊंगा, इन्हें भी बुलायें—मधुकर

अम्बिकापुर में लोक स्वराज्य समागम

तमिलनाडु प्रांत की राजधानी चेन्नै (बड़पलनी) से हिन्दी मासिक पत्रिका 'मधु बंसरी' के संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार व समाज सेवी श्री जवाहर लाल मधुकर ने लोक स्वराज्य समागम में आने हेतु अवश्य ही प्रयास करने को लिखा है। उल्लेखनीय है कि यह समागम तीन से पाँच अक्टूबर (रविवार—मंगलवार) तक छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालय अम्बिकापुर में आयोजित है और उसके बाद छः अक्टूबर बुधवार को वहाँ से इच्छुक जनों के लिए रामानुजगंज प्रवास का कार्यक्रम आयोजक लोक स्वराज्य मंच ने अपने साधनों से रखा है। उसने भोजन व आवास के निःशुल्क प्रबंध किए हैं।

बहरहाल श्री मधुकर लिखते हैं कि इतनी दूर 1800 किलोमीटर से उनके आने की कोशिश तो है ही मगर आप अपने नजदीकी इन चार सज्जनों को जरूर आमंत्रित करें भूलें नहीं, ताकि उनकी सहभागिता भी हो सके—

1. श्री रविकांत खरे (बाबा जी), अध्यक्ष — अखिल भारतीय वैचारिक क्रांति मंच डी.एस. 13, निराला नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) — 226020
2. सधु श्री (डॉ० राधेश्याम योगी, सत्याश्रम, नारो भास्कर, जालौन (उ.प्र.) — 285123
3. डॉ० रामसेवक शुक्ल, संपादक 'ठेगे पर सब मार दिया' 269 — सी. तुलाराम बाग, इलाहाबाद (उ.प्र.) — 211006
4. डॉ० श्री अशोक राजवैद्य, सत्य समाज, चंपा बिहार, बैरसिया — 463106, जिला — भोपाल (मध्य प्रदेश) — 462003

दिल्ली में सेवा प्रस्तुत है— डॉ० शाम सुखा

डॉ० बुधमल शामसुखा लिखते हैं कि अम्बिकापुर आयोजन हेतु दिल्ली उनके गृहनगर में बैठकर जो सेवा संभव होगी, प्रस्तुत है। वे लिखते हैं कि मौजूदा संविधान की खामियों व वर्तमान व्यवस्था से उत्पन्न भ्रष्टाचार आदि दोष बताने का काम लोक स्वराज्य मंच ने सुनियोजित ढंग से किया है। इसे प्रथम चरण माने। द्वितीय चरण उनके निराकरण को सामने रखकर बनायें। उन्होंने लिखा कि सफल अभियान हेतु समुद्देश्यशील हम राही चाहिए। आप अभियान का

मार्ग व ध्यय स्पष्ट होने पर जोर देते हुए लिखते हैं कि – धनैषणा, लोकैषणा व निज पहचान बनाने/कायम रखने वाले लोग किसी भी अभियान में अपने व्यक्तिगत गंतव्य/ध्येय तक पहुचने भर के लिये साथ चलते हैं। डॉ० शामसुखा लिखते हैं कि मंच की दिशा दशा का निर्धारण शक्तियों का सुनियोजित व उत्सव प्राप्ति मूलक उपयोग महत्वपूर्ण है।

ज्ञान तत्व के नए सदस्य : अमर सिंह

महेशनगर, जयपुर, राजस्थान, से अधिवक्ता चौधरी श्री अमर सिंह आर्य लिखते हैं कि उन्होंने गत पखवाड़े ज्ञान तत्व के छः नए सदस्यों की सूची भेजी थी, अब और नए चार लोग जुड़े हैं—

1. श्री धन सिंह, महेश नगर
2. श्री अजय गुप्ता, जनकपुर
3. श्री हरबीर सिंह महेश नगर
4. श्री नेतराम सिंह, बरकत नगर।

वे लिखते हैं कि लोक स्वराज्य मंच से लोगों को जोड़ने हेतु प्रपत्र भेजे ताकि नए लोगों को मंच से संबद्ध कराने हेतु विवरण भरा सकूँ।

मैं तो आऊँगा ही – डॉ० गुरुशरण

ग्वालियर, मध्यप्रदेश, से मासिक पत्रिका 'आचार्यकुल' के सम्पादक एवं वरिष्ठ सर्वोदयी विचारक श्री डॉ० गुरुशरण लिखते हैं कि अम्बिकापुर आऊँ, प्रयास रहेगा ही। उन्होंने लिखा कि बजरंगलाल जी के आंदोलन में वे सक्रिय या सार्थक भूमिका तो नहीं निभा पाए हैं पर सर्वोदय प्रेस सर्विस (इंदौर म.प्र.) व सर्वोदय जगत पत्रिका आदि में इस बारे में लिखत अवश्य रहे हैं। उल्लेखनीय है कि चंबल परिक्षेत्र की दस्यु समस्या पर हाल ही में डॉ० गुरुशरण का एक नजरिया बनाम साक्षात्कार सब दूरदर्शन से प्रसारित हुआ है और उनके काम इन दिनों जोर शोर पर हैं।

विचारों से सहमत – महेन्द्र जोशी

गोपाल नगर, अमृतसर (पंजाब) से प्राध्यापक श्री महेन्द्र जोशी लिखते हैं कि आप देश की मौजूदा व्यवस्था बदलने व लोक स्वराज्य यानी बेहतर व्यवस्था कायम करने हेतु प्रयत्नशील हैं। इससे खशी होती है और देश के सुनहरे कल की आशा बनती है। मैं आपके विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ और आपके लोक स्वराज्य अभियान की सफलता हेतु कामना करता हूँ।

महात्मा बजरंगलाल जी के करीब : प्रहलाद गिरि निंगा, आसनसोल (पश्चिम बंगाल) से आर्य श्री प्रहलाद गिरि संपादक, ज्ञान तत्व को महात्मा बजरंग जो संबोधित करते हुए लिखते हैं— भगवन ! मैं भी अब आपके विचारों के ज्यादा करीब आ रहा हूँ और आपके द्वारा लिखे गए 'भावी भारत का संविधान' को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। वे लिखते हैं कि 'मैं विश्व इंसान मंच' के जरिए हर देश, धर्म व भाषा को मिलाकर पैदल या साइकिल से विश्व भ्रमण हेतु विचाररत् हूँ। समूचे ज्ञान मंडल परिवार को शुभकामनाये।'

— प्रिं.अ. अज्ञानी

11/2/79 ठ आपकी बाट जोहता अंबिकापुर

लोक स्वराज्य समागम तीन अक्टूबर से

*प्रिंस अभिशेख अज्ञानी

अंबिकापुर में लोक स्वराज्य समागम, आए दिन होने वाले तमाम शासकीय अशासकीय या स्वैच्छिक आयोजनों की तरह रस्म अदायगी नहीं है। यह एक अनूठा, असाधारण व ऐतिहासिक उपक्रम है जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए जारी प्रयासों के धरातल पर निःसंदेह मील का पत्थर बनकर उभरेगा। तीन से पांच अक्टूबर (रविवार से मंगलवार) तक अंबिकापुर (सरगुजा) छ.ग. और उसके बाद इच्छितजन के लिए छः अक्टूबर बुधवार को रामानुजगंज में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के पीछे लगातार नौ महिने तक किए गए प्रयास तथा प्रकारांतर से चार दशक तक की गई साधना समाहित है।

यह तपस्या बन या प्राकृतिक छटा से आच्छादित सुरम्य पहाड़ियों के नीचे रामानुजगंज (जिला सरगुजा) में की गई। उक्त इलाका श्रीमद् रामचरित मानस व अन्य धर्मग्रन्थों में दंडकारण्य परिक्षेत्र के रूप में वर्णित है, जहाँ भगवान श्रीराम ने वनवास काटा तो भगवान श्रीकृष्ण के स्नेहपात्र पाण्डवों ने भी दिन गुजारे। ऐसी ऐतिहासिक धरती पर बीते डेढ़ दशक तक निरंतर एक अनुसंधान किया गया। इस शोध का विषय था भारत वर्ष की समस्याएँ, उनके कारण व निराकरण उसमें समूचे राष्ट्र के प्रखर मनीषियों, सर्जकों, कलाधर्मियों, समाज सेवियों, साहित्यकारों, संविधान विशेषज्ञों व जन नब्ज मर्मज्ञों ने भाग लिया। करीब 50 लाख रुपये की लागत से हुए इस अनुसंधान से मुख्य निष्कर्ष यह निकला कि समाज में शासन क अधिकार, हस्तक्षेप व दायित्व न्यूनतम और स्थानीय संस्थाओं को प्रायः हरेक विषय में स्व निर्णय के पूरे-पूरे वैधानिक हक होने चाहिए। इस समूचे उपक्रम के प्रणेता श्री बजरंगलाल अग्रवाल को उक्त निष्कर्ष तक पहुँचना वस्तुतः आसान नहीं रहा। उन्हें कदम-कदम पर सामाजिक-प्रशासनिक व पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ा। लगातार आर्थिक झंझावातों से जूझते हुए भी चार दशकों से अपनी उधेड़बुन में लगे श्री बजरंगलाल ने अपनी कवायद जारी रखी। इसके कारण पैतृक उद्योग धंधों व परिजनों के लिए वांछित समय निकाल पाने में स्वाभाविक रूप से असमर्थ रहे श्री लाल को समाज के लोगों ने भी शुरु-शुरु में अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। वास्तव में किसी भी पुनीत काम के आरंभ में नैसर्गिक रूप से ऐसा होता ही है। वहीं शासन-प्रशासन अड़ंगे लगाते रहा। बावजूद इसके अपनी धुन के पक्के श्री लाल एक के बाद एक सरकारी असरकारी मोर्चों से लेकर अदालतों तक में जीतते चले गए। फलतः धार्मिक-सांस्कृतिक-पौराणिक व साहित्यिक महत्व की धरा पर सहसा शनः शनैः इतिहास रचता चला गया। दुष्टों या असत्य पर जिस दंडकारण्य में सदा से सज्जन शक्तियों अथवा सत्य की विजय होती आई है, उसमें मौजूदा दौर में एक बार फिर समाज परिवर्तन की पताका लहराने लगी।

इस व्यवस्था परिवर्तन की निमित्त प्रक्रिया को श्री लाल के संयोजन में हुए अनुसंधान से लोक स्वराज्य प्रणाली नाम दिया गया और उक्त प्रणाली को अमलीजामा पहनाने के लिए लोक स्वराज्य मंच नामक आंदोलन को उक्रेरा गया। यह मंच उन लोगों का समूह है जो उपरोक्त उद्देश्य का लेकर

व्यक्तिगत, सामूहिक या संगठनात्मक प्रयास कर रहे हैं। लिहाजा लोक स्वराज्य मंच द्वारा आयोजित अंबिकापुर कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। रामानुजगंज से उठी चिंगारी की जौ या ज्वालायें अब समूचे राष्ट्र में फैलने जा रही हैं। श्री बजरंगलाल द्वारा देखा रचा सोचा गया सपना अब साकार होने जा रहा है यह सब कैसे होगा, कौन करेगा, इसकी आमूलचूल रूपरेखा अंबिकापुर में तैयार किया जाना है। यहाँ उल्लेखनीय है कि उक्त उपक्रम को सफल बनाने के लिए श्री लाल करीब छः महीनों तक उत्तर मध्य भारत के आठ राज्यों (छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान व हरियाणा) में हाल ही तक घूमें हैं। लोक स्वराज्य यात्रा नाम से उनका यह अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट, दिल्ली से 30 जनवरी 2004 को शुरू हुआ था और उसका औपचारिक समापन 26 जून को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्वाण स्थल, परोपकारिणी सभा अजमेर (राज0) में हुआ मगर यात्रा अनौपचारिक रूप से चार जुलाई तक चली। 65 वर्ष की आयु व बायपस शल्य चिकित्सा होने के बावजूद श्री लाल ने प्रायः प्रतिदिन दो जिला मुख्यालयों पर सभाओं, बैठकों, संगोष्ठियों या सामूहिक भेंट वातालापों म भाग लिया और अपनी बात रखी। इस यात्रा में मैं उनके साथ निरंतर रहा और मैंने पाया कि उनकी तर्क, तथ्य, प्रयोग व अनुभव आधारित बातों को हर जगह लोगों ने सराहा। ज्यादातर स्थानों पर इन लोगों को यह अफसोस रहा कि श्री लाल के इतने जोशीले जोरदार या जादई भाषण का पूर्व अनुमान न होने से बड़े स्तर पर लाभ न उठाया जा सका।

बहरहाल यात्रा में संपर्क में आए और श्री लाल के प्रयासों को हाथों हाथ लेते हुए साधुवाद देने वाले इन्ही लोगों की अब परीक्षण बेला है। उनका प्राथमिक दायित्व है कि वे न केवल स्वयं अंबिकापुर पहुँचे बल्कि अन्य विचारधर्मियों को भी साथ लाने या पहुँचवाने का प्रयास करें। इसीलिए हम उ.प्र. बिहार, झारखंड, उड़ीसा, म.प्र. व छ.ग. के लोगों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि वे अंबिकापुर आयें। दरअसल उनका एकत्रीकरण लक्ष्य को नए आयाम देगा। विभिन्न स्थानों के लोग जब इकट्ठे होंगे तो कार्य की दिशा व दशा का ठोस ताना बाना बुना जा सकेगा। यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि उक्त उपक्रम के लिए बोते छः माह में करीब डेढ़ लाख रूपये खर्च किए गए तो उसका 50 फीसदी अब आयोजन पर खर्च होगा। प्रकारांतर से देखें तो डेढ़ दशक के अनुसंधान पर हुए व्यय को मिलाकर अंबिकापुर आयोजन करीब 51 लाख रू० लागत से होने जा रहा है और यह सभी जानते हैं कि उपरोक्त आंकड़ा बड़ा शुभ माना जाता है। वहीं तीन अक्टूबर से शुरू हो रहे अंबिकापुर आयोजन के पीछे जनवरी से सितंबर तक नौ माह का सीधा व अनवरत प्रयास भी समाविष्ट रहेगा। इस प्रतीक्षा अवधि से क्या जन्म लेगा, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है मगर पुत के पॉव पालने में जल्द ही देखें जा सकेंगे, अब इसमें संदेह नहीं है। लोक स्वराज्य यात्रा के आयोजनों में उपस्थित जगह जगह लोग ने इस आयोजन में पहुँचने हेतु स्वतः स्फूर्त वादा किया है और अब वचन निभाने की घड़ी भी आ पहुँची है। अस्तु, रामानुजगंज में ज्ञान यज्ञ आश्रम स्थापित कर अथवा ज्ञान यज्ञ मंडल के जरिए अदभुत साधन करने वाले कर्मयोगी श्री लाल की माथा रचनात्मक जगत से जुड़ा प्रायः हरेक व्यक्ति देश के कोने-कोने म जानता है और इसलिए यहाँ इस आलेख में उसे बेहद सूक्ष्म रूप में या इशारों से अभिव्यक्त किया गया है। बहरहाल कोई भी तपस्या निष्फल जाया नहीं होती मगर श्री लाल की साधना इसलिए और ज्यादा गौरतलब या महत्वपूर्ण है कि वे उससे प्राप्त निष्कर्ष को अमलीजामा पहनाने हेतु खुद ही आतुर व कटिबद्ध हैं। उन्होंने वैचारिक क्रांति की अलख जगाई है। इसीलिए अंबिकापुर समागम में हरेक वर्ग, समूह, धर्म, संगठन, दल या विचार के लाग सादर सहर्ष सविनय आमंत्रित हैं। यह आयोजन किन्हीं भी दायरों में बंद, गुप्त सिमटा या घिरा हुआ न होकर, पूरी तरह खुला है। आयोजक लोक स्वराज्य मंच ने आगंतुकों के लिए निःशुल्क भोजन व आवास प्रबंध किए हैं तो सहभागियों को भी स्वयं का मार्ग व्यय वहन कर इस समाज यज्ञ में अपना अर्थगत अंशदान देना है। यथार्थ में भी परस्पर मिलजुलकर ही व्यवस्था परिवर्तन के प्रयास को मूर्तरूप दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला बनाम दंडकारण्य परिक्षेत्र के अंबिकापुर जिला मुख्यालय में इसीलिए एक भावी क्रांति आपकी बाट जोह रही है, जिसका निमित्त हम सबको बनना है। संलग्न मार्ग नक्शा से स्वतः स्पष्ट है कि अंबिकापुर, देश के किसो भी कोने से सहज रूप से पहुँच जा सकता। म.प्र. के अनूपपुर रेल जंक्शन पहुँचकर गाड़ी बदलकर बिश्रामपुर रेल स्टेशन पहुँचा जा सकता है। वहां से 25 किलोमीटर दूर स्थित अंबिकापुर के लिए सवारी जीप या मोटर उपलब्ध रहती है। बिश्रामपुर में आपके मार्गदर्शन हेतु लोक स्वराज्य मंच के कार्यकर्ता रहेंगे। इसके अलावा अनूपपुर से करीब 200 कि.मी. दूर अंबिकापुर हेतु सीधी मोटर सेवायें हैं।

दूसरी ओर झारखंड के गढ़वा रोड रेल जंक्शन पहुँचने वाले साथियों हेतु 170 कि.मी. दूर अंबिकापुर के लिए सीधी मोटर सेवायें हैं। ख्याल कीजिएगा कि गढ़वा शहर व गढ़वा रोड दो अलग-अलग नजदीकी स्टेशन हैं। हमारे साथी आपके मार्गदर्शन हेतु गढ़वा रोड जंक्शन पर रहेंगे। इसी तरह वाराणसी उ.प्र., रांची झारखंड व गया बिहार आदि से अंबिकापुर के लिए सीधी मोटर सेवायें हैं। बनारस से अंबिकापुर लगभग 300 कि.मी. है तो रांची व गया, इसस थोड़ी ज्यादा दूरियों पर हैं।